राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 970/2011/चुरू

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
चुरू। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एम.एम.डीजल सर्विस सेन्टर,
कातर, सुजानगढ, जिला चुरू। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री अभिषेक अजमेरा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 19/07/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 331/आरवेट/चुरू/09–10 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, चुरू (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 कुल मांग राशि रूपये 42,592/– को अपास्त करते हुए अपील सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दी।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण आदेश जारी करते समय पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने राज्य सरकार द्वारा जारी जारी कम्पोजिशन स्कीम, 2006 की अधिसूचना दिनांक 09.03.2007 के परिप्रेक्ष्य में न तो उक्त योजना का लाभ लेने के लिए स्कीम की घोषणा पश्चात् 30 दिन के भीतर कम्पोजिशन सर्टिफिकेट लेने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं न ही अधिसूचना के अनुसार 0.25 प्रतिशत देय कम्पोजिशन राशि पर लेट फीस जमा करवाई। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कर योग्य बिक्री पर 12.5 प्रतिशत से कर व उस पर ब्याज कुल मांग राशि का रूपये 42,592/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील को स्वीकार कर सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दी। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्को में कहा कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की नियत से कम्पोजिशन सर्टिफिकेट लेने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं न देय कम्पोजिशन राशि पर लेट फीस जमा करवाई। आगे उन्होने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने राज्य सरकार की कम्पोशिन स्कीम, 2006 दिनांक 09.03.2007 की पालना में सशक्त अधिकारी को कम्पोजिशन फीस दिनांक 29.05.2006 जमा करवाकर कम्पोजिशन सर्टिफिकेट दिनांक 30.04.2007 को प्राप्त कर लिये थे, फिर भी सशक्त अधिकारी ने उन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर व ब्याज का आरोपण कर दिया, एवं इस हेतु उन्हें किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की रिटेल आउटलेट पैट्रोलियम की कम्पनी है, एवं उनके द्वारा कम्पोजिशन स्कीम, 2006 दिनांक 09.03.2007 की पालना में सशक्त अधिकारी को कम्पोजिशन फीस दिनांक 29.05.2006 जमा करवाकर कम्पोजिशन सर्टिफिकेट दिनांक 30.04.2007 को प्राप्त कर लिये गये थे। सशक्त अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर 12.5 प्रतिशत की दर से कर व ब्याज का आरोपण कर दिया जो कि न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20.10.2010 द्वारा प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

7. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य